17/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पुनः बहस प्रा. पत्र O-7 R-11 सुनी गई। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया गया। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शा. पाठ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनीषा तिवारी आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 778/दावा/21 तारीख दायरा 21.01.2021

उनवान

1. कंवरलाल
2. हजारीबाई
3. हरकूबाई
4. पारीबाई
5. भगत आ0 देवलाल अकवाम लोधा, निवासियान गोविन्दपुरा ... **वादीगण**

बनाम

1. चुन्नीलाल
2. देवीलाल
3. पूनमचन्द आ0 रामचन्द्र
4. अनारबाई पुत्र मांगीलाल
5. उमाबाई पुत्री गेंदीलाल
6. ओकार बाई पत्नी छीतरलाल
7. गोपाल पुत्र छीतरलाल
8. छगन पुत्र मांगीलाल
9. जगदीश
10. तेजमल
11. नेमीचन्द आ0 माणकलाल
12. सुरस्त पत्नी प्रेमचन्द
13. रितु पुत्री प्रेमचन्द
14. द्विव्या पुत्री प्रेमचन्द
15. अनन्नया पुत्री प्रेमचन्द
16. पिन्टु पुत्री गेंदीलाल
17. बाली पुत्री गेंदीलाल
18. मिश्रीलाल पुत्र माणक
19. मीना पुत्री छीतरलाल
20. रामसिंह पुत्र मांगीलाल
21. राहुल पुत्र छीतरलाल
22. लीलाबाई पुत्री मांगीलाल
23. शांतिबाई पुत्री मागीलाल
24. सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल
25. हीरालाल पुत्री माणकलाल अकवाम लोधा निवासियान गोविन्दपुरा तहसील झालरापाटन
26. उषा पत्नि विमलचंद
27. चन्द्रकान्ता पत्नी लक्ष्मीचन्द

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

वाद पत्र के लिए स्टाम्प | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प

28. लीला पत्नि पारसचन्द अकवाम जैन निवासी झालरापाटन
29. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन .... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए 209 राज0काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :–

1. श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक वादीगण
2. श्री शेलेन्द्र जैन अभिभाषक प्रतिवीगदण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.10.2022

वाद के तथ्य संक्षेपे में इस प्रकार हैं कि ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन की खाता संख 76 की खसरा नम्बर 1025/120 रकबा 0.3161 है0 खसरा नम्बर 1028/121 रकबा 1.0116 है0, भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज है । ग्राम गिन्दोर की खाता संख्या 128 की खसरा नम्बर 1021/383 रकबा 0.5437, खसरा नम्बर 1022/118 रकबा 0.4046 खसरा नम्ब 122 रकबा 1.8968 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 से 11 की खातेदारी में, 12 से 15 के पिता प्रेमचन्द की खातेदारी में तथा 16 से 25 की खातेदारी में दर्ज है । ग्राम गिन्दोर की खाता संख्या 9 की खसरा संख्या 1026/120 रकबा 0.3920, खसरा नम्बर 1029/121 रकबा 1.6449 आराजी प्रतिवादी संख्या 26, 27 व 28 की खातेदारी में दर्ज है । चरण 1 में वर्णित आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 120, रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा , 121 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा एवं 122 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा है । ग्राम गिन्दोर की खाता सख्यां 37 की खसरा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 1/2 भाग के खातेदारी नाराण वल्द किशना दर्ज है । वाद पत्र में कम 3 के अनुसार तत्समय जमाबन्दी संख्या 33 में 1/2 के रहे खातेदार नारायण वल्द किशना जाति लोधा ने दिनांक 13.10.1972 को खसारा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का दानपत्र उनकी छोटी पुत्री हीराबाई जोजे देवलाल के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया था तथा दान के समय ही भूमि का कब्जा संभला दिया था जिसके जीवनकाल में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया । वादीगण की माता के मरने से विधिक हक व आधिपत्य विधि अनुसार वादीगण में निहित हैं । वादीगण मृतक हीरालाल के विधिक उत्तराधिकारी होने से दिनांक 13.10.72 को खसराा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से 4 बीघा आराजी दानपत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा के वैधानिक अधिकारी हैं । वादपत्र के चरण 4 में अनुसार प्रतिवादी संख्या 29 ने वादीगण की माता के खाते में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने से पक्षकार बनाया है । अतः वर्णित भूमि के संबंध मे वादपत्र के चरण 4 के पंजीकृत दानपत्र के अनुसार वादीगण के पंजीकृत दानग्रहिता के विधिक उत्तराधिकारी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की विधिवत घोषणा की जाव ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी 1 लगायत 3 व 8, 10 की और से दिनांक 31.5.2022 को जवाबदावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादी गण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने से दिनांक 9.5.22 को जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

28. लीला पत्नि पारसचन्द अकवाम जैन निवासी झालरापाटन
29. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन .... **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए 209 राज0काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :–

1. श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक वादीगण
2. श्री शेलेन्द्र जैन अभिभाषक प्रतिवीगदण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.10.2022

वाद के तथ्य संक्षेपे में इस प्रकार हैं कि ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन की खाता संख 76 की खसरा नम्बर 1025/120 रकबा 0.3161 है0 खसरा नम्बर 1028/121 रकबा 1.0116 है0, भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज है । ग्राम गिन्दोर की खाता संख्या 128 की खसरा नम्बर 1021/383 रकबा 0.5437, खसरा नम्बर 1022/118 रकबा 0.4046 खसरा नम्ब 122 रकबा 1.8968 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 से 11 की खातेदारी में, 12 से 15 के पिता प्रेमचन्द की खातेदारी में तथा 16 से 25 की खातेदारी में दर्ज है । ग्राम गिन्दोर की खाता संख्या 9 की खसरा संख्या 1026/120 रकबा 0.3920, खसरा नम्बर 1029/121 रकबा 1.6449 आराजी प्रतिवादी संख्या 26, 27 व 28 की खातेदारी में दर्ज है । चरण 1 में वर्णित आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 120, रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा , 121 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा एवं 122 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा है । ग्राम गिन्दोर की खाता सख्यां 37 की खसरा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 1/2 भाग के खातेदारी नाराण-वल्द किशना दर्ज है । वाद पत्र में क्रम 3 के अनुसार तत्समय जमाबन्दी संख्या 33 में 1/2 के रहे खातेदार नारायण वल्द किशना जाति लोधा ने दिनांक 13.10.1972 को खसारा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का दानपत्र उनकी छोटी पुत्री हीराबाई जोजे देवलाल के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया था तथा दान के समय ही भूमि का कब्जा संभला दिया था जिसके जीवनकाल में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया । वादीगण की माता के मरने से विधिक हक व आधिपत्य विधि अनुसार वादीगण में निहित हैं । वादीगण मृतक हीरालाल के विधिक उत्तराधिकारी होने से दिनांक 13.10.72 को खसराा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से 4 बीघा आराजी दानपत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा के वैधानिक अधिकारी हैं । वादपत्र के चरण 4 में अनुसार प्रतिवादी संख्या 29 ने वादीगण की माता के खाते में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने से पक्षकार बनाया है । अतः वर्णित भूमि के संबंध मे वादपत्र के चरण 4 के पंजीकृत दानपत्र के अनुसार वादीगण के पंजीकृत दानग्रहिता के विधिक उत्तराधिकारी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की विधिवत घोषणा की जाव ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी 1 लगायत 3 व 8, 10 की और से दिनांक 31.5.2022 को जवाबदावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादी गण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने से दिनांक 9.5.22 को जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

प्रस्तुत जवाब दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पेरा नम्बर मे वर्णित आराजी प्रतिवादी 1 लगायत 3 के खातेदारी में दर्ज होना स्वीका है । उक्त आराजी मे प्रतिवादी गण 8 व 10 व अन्य के नाम दर्ज है । वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जानकारी प्रतिवादीगण को न होने से अस्वीकार है आराजी का कब्जा वादीगणों की माता हीराबाई को कभी नहीं संभलाया गया ना ही वादीगणों का विवादित आराजी आधिपत्य है । वादीगण द्वारा आराजी पर कब्जा करने की गरज से वाद लाया गया है । दानपत्र 13.10.72 के आधार पर खसरा नम्बर 7089 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से 4 बीघा आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक अधिकार नहीं हैं । अतः वादीगणों द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है । वाद खारिज फरमाया जावे

वाद के निस्तारण हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. वाद पत्र के चरण कमांक 1 में वर्णित भूमि के विगत नम्बरान खसरा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा के 1/2 भाग के खातेदार रहे नारायण वल्द किशना जाति लोधा ने दिनांक 13.10.72 को खसरा नम्बर 89 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में से 4 बीघा का दा उनकी पुत्री हीराबाई को पीकृत करवाकर भूमि का कब्जा संभला दिया था

.....वादीगण

2. दिनांक 13.10.1972 को पंजीकृत दान के उपरान्त हीराबाई केजीवनकाल में हीराबाई का तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों का हक व अधिकार तथा आधिपत्य निहित रहा किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दानपत्र के अनुसरण में नामान्तरकण दर्ज नहीं किया जिस कारण वादीगण पीकृत दाग्रहिता के विधिक उत्तराधिकारी होने से खातोदारी घोषणा के अधिकारी हैं

... वादीगण

3. वदीगण का वर्तमान वादग्रस्त भूमि के खातेदारी तथा कब्जेदारी से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वे इस वाद के आड़ मे कथि दानपत्र को आधार बनाकर वाद लाये हैं जो खारिज होने योग्य है ।

... प्रतिवादीगण

4. अनुतोष :– अन्य कोई विवाधक नहीं सुझाये गये ।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वंय वादी कंवरलाल , प्रभुलाल, जीतमल एवं भगत के शपथपत्र मुख्यपरीक्षण पेश कर प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा दिनांक 15.07.21 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम गिन्दोर खाता संख्या 76, 128, 09, एवं नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिन्दोर खसरा नम्बर 120, 121, 122 एंव खाता संख्या 37 व फोटो प्रति दानपत्र दिनाक 13.10.1972 पेश की गई ।

वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.7.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दीवानी पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वाराप्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश होने पर न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत विवेचन नहीं कर सीधे ही वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना कर, सीधी बहस की प्रार्थना की, हमने बहस वकील फरीकेन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस तर्क दिया कि दानपत्र के

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

आधार पर उत्ताराधिकारी बाबत् निर्णय सिविल न्यायालय ही दे सकता है राजस्व न्यायालय को दानपत्र के आधार पर उत्तराधिकारियों को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है । इस आधार पर वाद चलने योग्य नहीं है अतः वाद खारिज फरमाया जावे ।

हम वकील प्रतिवादी द्वारा दोराने बहस दिये गये तर्को से सहमत है । वादीगण के विधिक उत्तराधिकारी बाबत् सिविल न्यायालय से घोषणा कराने के पश्चात ही वादीगण को वाद प्रस्तुत करना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । सीधे ही विधिक उत्तराकारी की हैसियत से वाद लाया गया है जिससे वादीगण को यह न्यायालय किसी भी प्रकार का अनुतोष देना उचित नहीं समझता है । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है । न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र वादीगण, प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार होने से वाद वादीगण मय खर्चा खारिजजाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़